न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री वक्ताराम पुत्र सांकलाराम , जाति रेबारी, आयु 80 वर्ष, निवासी रेबारी वास, आमथला, तहसील देलदर, जिला सिरोही।		श्री बाबुसिंह पुत्र श्री मेघसिंह, जाति राव, निवासी कारोली, तहसील देलदर, जिला सिरोही व अन्य – 1

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 3/2022

दिनांक२1.10.2022

आदेश

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम आमथला, पटवार हल्का आमथला में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 801/1, 801/2, 803, 813 कुल क्षेत्रफल 1.4668 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित हैं, जिसके खसरा संख्या 803 में प्रार्थी का कुंआ स्थित है, जिससे संपूर्ण भूमि में सिचांई की जाती है। कि पद संख्या 01 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि लगते हुए अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 804, 805, 814 कुल क्षेत्रफल 0.8599 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो भौगोलिक स्थिति अनुसार मौके पर दो टुकड़ो में विभक्त है अर्थात प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि के आगे की ओर अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 804, 805 की कृषि भूमि स्थित है, जिसके आगे से आबूरोड़ से सिरोही जाने वाला मुख्य मार्ग निकलता है तथा प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि के पीछे की ओर अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 814 की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की खसरा संख्या 801/1, 801/2, 803, 813 कुल क्षेत्रफल 1.4668 हैक्टेयर भूमि में कृषि भूमि में कृषि कार्य करने हेतु व आने जाने हेतु प्रार्थी के पास कोई सरल व सुगम मार्ग उपलब्ध नही होंने से यह प्रार्थना पत्र मार्ग प्राप्ति हेतु पेश किया गया है। यह कि प्रार्थी के पास पद संख्या 01 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन हेतु एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु वर्तमान में कोई सरल व सुगम मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थी को अपनी–अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अत्यधिक कठिनाई एवं असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह कि पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी के पास अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 804, 805 की कृषि भूमि, जो आबूरोड़ से सिरोही जाने वाले मुख्य मार्ग डामर सड़क से मिलती है, जिस भूमि में से प्रार्थी को अत्यन्त निकटतम व सुलभ मार्ग के अलावा अन्य कोई सुलभ व सुगम मार्ग उपलब्ध नही हो सकता है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्याा 804, 805 की कृषि भूमि में से न्युनतम 30 फुट रास्ते हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करे। नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी सं. 01 जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी की खसरा संख्या 801/1, 801/2, 803, 813 की कृषिभूमि में कृषिकार्य करने हेतु प्रार्थी के पास उक्त भूमि में आने जाने व कृषि कार्य हेतु इस प्रकरण में चाहे गए नये मार्ग के अलावा वर्तमान में 03 रास्ते पहले से ही उपलब्ध हैं जिसका प्रयोग व उपयोग उपभोग वह करता रहा हैं व कर रहा है। कि प्रार्थी के पास वर्तमान में अपनी उक्त भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु एक से ज्यादा सरल व सुगम मार्ग उपलब्ध है जिस[illegible]ग वह कर रहा है। कि प्रार्थी के पास अपने उक्त खसरा नंबरा[illegible] की भूमि में [illegible] जाने [illegible] अप्रार्थी के खसरा नंबर 804, 805 की भूमि में से नया रास्ता निकाल[illegible] की [illegible] आवश्यक[illegible] है क्योंकि प्रार्थी के पास पहले से ही एक से ज्यादा मार्ग है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया। यह प्रकरण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार कि प्रार्थी को उनके निर्बाध व निरन्तर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 804, 805 की कृषि भूमि में से न्युनतम 30 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

धारा 251 ए के अंतर्गत 2 बिन्दु मुख्यतः विचारणीय हैं –

प्रार्थीगण को रास्ते की परम आवश्यकता हो केवल सुविधा के लिये नही एवं अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। तहसीलदार देलदर की फर्द मौका कमीश्नर रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थी के कृषि भूमि में आने–जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है, जिससे मौके पर आवागमन किया जा रहा है। अतः प्रार्थी सरलता/सुगमता हेतु धारा 251 ए के अंतर्गत रास्ता प्राप्त नही कर सकते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

21.10.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:55 IST
Reason: SelfAttested